न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 179/2020, जिला दौसा

बलदेव पुत्र श्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी खवारावजी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा। —अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार महोदय तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
2. अध्यक्ष आंवटन कमेटी उप जिला कलेक्टर महोदय दौसा।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थित

1. वकील अपीलान्ट श्री मिठ्ठन लाल गुर्जर
2. राजकीय अधिवक्ता

अपील विरूद्ध निर्णय ता0 24.1.2018 अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा

निर्णय

दिनांक —05.07.2022

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 24.01.2018 के खिलाफ दिनांक 06.03.2018 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :—

आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 02.06.1999 को ग्राम खवारावजी तहसील नांगल राजावतान के आ. ख.नं. 2727 रकबा 0.09, 2769 रकबा 0.09 व 4327 रकबा 0.10 है0 भूमि का आंवटन अपीलांट को किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रार्थना पत्र अ.धा. 14 (4) भू—आंवटन नियम—1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मौके पर भूमि खाली पडत पडी हुई है। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। जबकि आंवटन हुए लगभग 18 वर्ष बाद भी गैर खातेदारी दर्ज है। आंवटित भूमि का अपीलान्ट द्वारा कोई उपयोग नहीं किया जा रहा और आंवटित भूमि की कृषि में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। जिससे आंवटित भूमि के प्रयोजन ही समाप्त हो जाते है। आंवटित भूमि पर अपीलांट का कब्जा होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गया, जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। अपीलान्ट द्वारा आंवटन की शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आंवटन खारिज कर दिया गया।

जिला कलेक्टर दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.01.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 24.01.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थी अपीलांट भूतपूर्व सैनिक है अपीलांट के हक में आराजी खसरा नं0 2727, 2769, 4327 कुल रकबा 0.28 है0 तन मोजा सवारावजी तत्कालीन तहसील दौसा का आंवटन दिनांक 2.6.99 को आंवटन कमेटी की सिफारिश कर पूर्ण कोरम द्वारा विधिवत किया गया था। आंवटन बाद आंवटी के हक में गैर खातेदारी का अंकन दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड चला आ रहा है। आंवटन शुदा आराजी का हर कदर उपयोग उपभोग आंवटी अपीलांट आज दिन तक करता चला आ रहा है तो फिर भी तहसीलदार नांगल राजावतान के प्रार्थना पत्र को बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना मनमानी पूर्वक तरीके से खारिज फरमा दिया है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 2.6.99 से आज दिन तक आंवटन शुदा भूमि पर आंवटी का कब्जा नहीं है। और आवंटी को आज दिन तक कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया है और आंवटी ने आंवटन शर्तों की पालना भी नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट सं.1 द्वारा किये गये कथन विधि सम्मत नहीं है क्योंकि आवंटी को कब्जा देने

Scanned by CamScanner

के बाद ही गैर खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर जमाबंदी में गैर खातेदार दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड तहसीलदार एवं अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा ही किया गया है। ऐसी सूरत में आज तहसीलदार महोदय यह नहीं कह सकते कि आंवटी को कब्जा ही नहीं दिया गया है और आंवटी के कब्जा ही प्राप्त नहीं किया गया है। तहसीलदार ने अपने प्रार्थना पत्र में यह आरोप व आक्षेप लगाया है कि अपीलान्ट ने आंवटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। सेटलमेन्ट हुए 19 वर्ष हो चुके है एवं आंवटन बाद दस वर्ष में स्वतः गैर खातेदारी के अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं। 19 वर्ष बाद यह कहना कि आंवटन बाद की शर्तो की पालना नहीं की कतई गलत है क्योंकि अलॉटमेंट रूल में धारा 14 (3) को विलोपित कर दी गई है। ऐसी सूरत में आंवटन बाद की शर्तें अपीलांट पर लागू ही नहीं होती है।ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश शून्य एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोडेन्ट ने विरोध करते हुये कथन किया कि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 02.06.1999 को ग्राम खवारावजी तहसील नांगल राजावतान के आ0 ख0 नं0 2727 रकबा 0.09, 2769 रकबा 0.09 व 4327 रकबा 0.10 है0 भूमि का आंवटन बलदेव को किया गया। किन्तु अपीलांट द्वारा आंवटित भूमि की आंवटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली पडत पडी हुई है। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। जबकि आंवटन हुए लगभग 18 वर्ष बाद भी गैर खातेदारी दर्ज है। आंवटित भूमि का अपीलान्ट द्वारा कोई उपयोग नहीं किया जा रहा और आंवटित भूमि की कृषि में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। जिससे आंवटित भूमि के प्रयोजन ही समाप्त हो जाते है। आंवटित भूमि पर अपीलांट का कब्जा होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गया, जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। अपीलान्ट द्वारा आंवटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा आंवटन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि आंवटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी जांच पटवारी हल्का से करवाई गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आंधार पर अपीलांट को आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 02.06.1999 को ग्राम खवारावजी तहसील नांगल राजावतान के आ0 ख0 नं0 2727 रकबा 0.09, 2769 रकबा 0.09 व 4327 रकबा 0.10 है0 भूमि का आंवटन किया गया। बलदेव द्वारा आंवटित भूमि की शर्तो की पालना नहीं की गई। क्योंकि मौके पर भूमि खाली पडत पडी हुई है तथा अपीलांट के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। जबकि आंवटन हुए लगभग 18 वर्ष बाद भी गैर खातेदारी दर्ज है। जिससे स्पष्ट होता है कि आंवटित भूमि का बलदेव द्वारा कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है और आवंटित भूमि की कृषि में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। जिससे आंवटित भूमि के प्रयोजन ही समाप्त हो जाते है। आंवटित भूमि पर अपीलांट का कब्जा होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। अपीलांट द्वारा आंवटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने आंवटन की शर्तो की पालना अपीलांट द्वारा नही किये जाने के कारण आंवटन खारिज किया गया, जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः जिला कलेक्टर दौसा पारित आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 24.01.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner